

The 9th March, 2009

No. 127 Gaz. II/XXI.C. 22.—In exercise of the powers conferred by Section 11(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, Hon'ble the Chief Justice and Judges have been pleased to confer upon the following member of the H.C.S.(J.B.) the powers noted against her name to be exercised within the District mentioned in column No. 4 below :—

Sr. No.	Name of Officer	Powers	Territorial Jurisdiction	With effect from
1	2	3	4	5
1.	Ms. Jasmine Sharma	Judicial Magistrate First Class	District Jagadhri	The date of issuing of the notification

No. 128 Gaz. II/XXI.C. 25.—In exercise of the powers conferred by Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973, Hon'ble the Chief Justice and Judges have been pleased to confer upon the following Judicial Magistrate of the First Class, the powers noted against her name :—

Sr. No.	Name of Officer	Powers	Territorial Jurisdiction	With effect from
1	2	3	4	5
1.	Ms. Jasmine Sharma	To try summarily all offences mentioned in Section 260 of Cr. P.C., 1973	District Jagadhri	The date of issuing of the notification

By Order of Hon'ble the Chief Justice & Judges.

(Sd.)...
Registrar General.

हरियाणा भाण्डागारण निगम

दिनांक 25 फरवरी, 2009

संख्या ह०भा०नि०/ई०-14/ई०ए०-10/2009/9760.—भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58), की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, हरियाणा भाण्डागारण निगम, इसके द्वारा, हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. ये विनियम हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) संशोधन विनियम, 2009 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 8 में, उप विनियम (1) में, खण्ड (ड) में, उप खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(i) वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (लेखा) या अन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा; या”।

3. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 5 के सामने, खाना 5 के नीचे विद्यमान पदविवरणों के स्थान पर, निम्नलिखित

प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“दस वर्ष के अनुभव सहित बरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (लेखा) अथवा आन्तरिक लेखा-परीक्षा अधिकारी जिसने राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्टेट अकाउन्ट्स सर्विसिज़ परीक्षा पास की हो।”

डा० अशोक खेमका,
प्रबन्ध निदेशक,
हरियाणा भाण्डागारण निगम, पंचकूला।

शकुन्तला जाखू,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।

[19—1]

HARYANA WAREHOUSING CORPORATION

The 25th February, 2009

No. HWC/E-14/EA-10/2009/9760.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962), and with the previous sanction of the State Government, the Haryana Warehousing Corporation hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Warehousing Corporation (officers and staff) Regulations, 1994, namely :—

1. These regulations may be called the Haryana Warehousing Corporation (officers and staff) Amendment Regulations, 2009.
2. In the Haryana Warehousing Corporation (officers and staff) Regulations, 1994 (hereinafter called the said regulations), in regulation 8, in sub-regulation (I), in clause (e), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely :—
“(i) by promotion from amongst Senior Assistant Manager (Accounts) or Internal Audit Officer; or”.
3. In the said regulations, in Appendix B, against serial number 5, under column 5, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“Senior Assistant Manager (Accounts) or Internal Audit Officer with ten years experience who has passed State Accounts Services examination conducted by the State Government.”

DR. ASHOK KHEMKA,
Managing Director,
Haryana Warehousing Corporation, Panchkula.

SHAKUNTLA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to,
Government Haryana, Agriculture Department.

[19—1]

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 23rd July, 2012]

हरियाणा सरकार

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम

अधिसूचना

दिनांक 23 जुलाई, 2012

संख्या ह०भा०नि०/स्था० 14/ई०ए० 10/2012.—भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम 58), की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, इसके द्वारा, हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. ये विनियम हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) संशोधन विनियम, 2012 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम 1994 (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 8 के उप विनियम (1), में खण्ड (क), के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(क) सचिव की दशा में—

- (i) कार्यकारी इंजीनियर, प्रबन्धक (भण्डारण और तकनीकी), प्रबन्धक (व्यवसाय), प्रबन्धक (लेखे), प्रबन्धक (कार्मिक), प्रबन्धक (विधि), विधि सलाहकार, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक में से पदोन्नति द्वारा, या
- (ii) भारत सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र अथवा राज्य के लोक उपक्रम की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा, या
- (iii) दोनों प्रक्रियाओं द्वारा उम्मीदवार के न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणः— सचिव के पद के कर्तव्य और दायित्व कार्यकारी इंजीनियर, प्रबन्धक (भण्डारण और तकनीकी), प्रबन्धक (व्यवसाय), प्रबन्धक (लेखे), प्रबन्धक (कार्मिक), प्रबन्धक (विधि), विधि सलाहकार, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक से अधिक महत्व के हैं।”

3. उक्त विनियमों में, विनियम 6 के परिशिष्ट “ख” में:—

क्रम संख्या 1 के सामने खाना 5 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम संख्या	पदोन्नति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो
1	2
1	कार्यकारी इंजीनियर, प्रबन्धक (भण्डारण और तकनीकी), प्रबन्धक (व्यवसाय), प्रबन्धक (लेखे), प्रबन्धक (कार्मिक), प्रबन्धक (विधि), विधि सलाहकार, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव।

कृष्ण कुमार,

प्रबन्ध निदेशक,

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम पंचकुला।

रोशन लाल,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

कृषि विभाग, चण्डीगढ़।

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 23rd July, 2012]

HARYANA GOVERNMENT
HARYANA STATE WAREHOUSING CORPORATION

Notification

The 23rd July, 2012

No. HWC/E-14/EA-10/2012.— In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Act 58 of 1962) and with the previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994, namely.

1. These regulations may be called the Haryana Warehousing Corporation (Officers & Staff) (Amendment) Regulations, 2012.

2. In the Haryana Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 (hereinafter called the said regulations), in regulation 8, in sub-regulation (1),

for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) In the case of Secretary :—

- (i) by promotion from amongst Executive Engineer, Manager (Storage and Technical), Manager (Business), Manager (Accounts), Manager (Personnel), Manager (Legal), Legal Advisor, Senior Systems Analyst ; or
- (ii) by deputation of an officer already in the service of the Government of India, State Government, Central or State Public Undertaking; or
- (iii) failing both by direct recruitment;

Note :— Post of Secretary involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of Executive Engineer, Manager (Storage & Technical), Manager (Business), Manager (Accounts), Manager (Personnel), Manager (Legal), Legal Advisor, and Senior Systems Analyst.”

3. In the said regulations, in regulation 6, in Appendix-B—

(a) For serial number 1 and entries there against under column No. 5, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:

Sr. No.	Academic qualification and experience, If any, for promotion
1	5
1.	Eight years experience as Executive Engineer, Manager (Storage and Technical), Manager (Business), Manager (Accounts), Manager (Personnel), Manager (Legal), Legal Advisor, Senior Systems Analyst.

KRISHAN KUMAR,
Managing Director,
Haryana State Warehousing Corporation,
Panchkula.

ROSHAN LAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department, Chandigarh.

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम

दिनांक 1 अप्रैल, 2013

संख्या ह०रा०भ०नि०/ई०ए० 10/2013/11074.—भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम, 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, इसके द्वारा, हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. यह विनियम हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) संशोधित विनियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 (जिन्हे, इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 8 में, उप विनियम (1) में :-

(क) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(छ) प्रबन्धक (विधि) की दशा में-

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य के लोक उपक्रम के सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

टिप्पणी: प्रबन्धक (विधि) के वर्तमान पदधारी श्रीमती स्वाती कुमार के लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में प्रबन्धक (विधि) के पद को वेतन ढांचा वेतन बैंड 3 के वेतनमान ₹ 15600-39100 जमा ग्रेड पे ₹ 7600 में उन्नत करके विधि सलाहकार का पद बनाया गया। जब कभी वर्तमान पदधारी या विधि सलाहकार का पद अन्यथा रिक्त होगा, तो यह प्रबन्धक (विधि) के उस पद में वेतन ढांचा वेतन बैंड 3 ₹ 15600-39100 जमा ग्रेड पे ₹ 6000 में लौट जायेगा।

(ख) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ठ) जिला प्रबन्धक की दशा में-

(i) 75 प्रतिशत प्रबन्धक ग्रेड-1 और सहायक प्रबन्धक (गुणता नियन्त्रण) में से क्रमशः 6:1 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा; तथा

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ;

3. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट "क" में :-

(क) खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 7, 23, तथा 24 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र० सं०	पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान (₹)	पद का वेतनमान (1-1-2006 से लागू)	ग्रेड वेतन (₹)
				वेतन बैंड	वेतनमान (₹)	
1	2	3	4	5	6(क)	
7	प्रबन्धक (विधि)	1	1	10000-13900	3	₹15600-39100
						6000

प्रबन्धक (विधि) के वर्तमान पदधारी श्रीमती स्वाती कुमार के लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में प्रबन्धक (विधि) के पद को वेतन ढांचा वेतन बैंड 3 के वेतनमान ₹ 15600-39100 जमा ग्रेड पे ₹ 7600 में उन्नत करके विधि सलाहकार का पद बनाया गया। जब कभी वर्तमान पदधारी या विधि सलाहकार का पद अन्यथा रिक्त होगा, तो यह प्रबन्धक (विधि) के उस पद में वेतन ढांचा वेतन बैंड 3 ₹ 15600-39100 जमा ग्रेड पे ₹ 6000 में लौट जायेगा।

1	2	3	4	5	6क	6ख	6ग
23	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	III	16	5500- 9000	2	₹ 9300-34800	3600
				6500- 9900		₹ 9300-34800 (15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	4000
						₹ 9300-34800 (18 वर्ष की नियमित एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को अतिरिक्त उपमण्डल अभियन्ता (सिविल) के रूप में पदाचिन्हित किया जायेगा)	5200
24	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	III	3	5500- 9000	2	₹ 9300-34800	3600
				6500- 9900		₹ 9300-34800 (15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	4000
						₹ 9300-34800 (18 वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर कनिष्ठ अभियन्ता को अतिरिक्त उपमण्डल अभियन्ता (विद्युत) के रूप में पदाचिन्हित किया जायेगा।	5200

4. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट ग में, खाना 2 के नीचे तथा 11 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(क) खाना, क्रम संख्या 6 के नीचे तथा 11 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो।	पदोन्नति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो।
1	2	3	4	5
6-क	प्रबन्धक (विधि (*))			
11	जिला प्रबन्धक			प्रबन्धक ग्रेड 1 अथवा सहायक प्रबन्धक (गुण नियन्त्रण) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

(* प्रबन्धक (विधि) का पद विधि सलाहकार के उस पद के लिए उन्नत किया गया था। उन्नति वर्तमान पदधारी श्रीमती स्वाती कुमार के साथ सहविस्तारी है।

5. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट ग में, खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 6क, 32 तथा 33 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2
6क	प्रबन्धक (विधि) (*)
32	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) अपर उपमण्डल अभियन्ता (सिविल)
33	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) अपर उपमण्डल अभियन्ता (विद्युत)

(*) प्रबन्धक विधि का पद विधि सलाहकार के उस पद के लिए उन्नत किया गया था। उन्नति वर्तमान पदधारी श्रीमती स्वाती के साथ सहविस्तारी है।

बृजेन्द्र सिंह,
प्रबन्ध निदेशक,
हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम
15-18, सेक्टर 2, पंचकुला।

रोशन लाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, चण्डीगढ़।

[76-1]

HARYANA STATE WAREHOUSING CORPORATION

No. HSWC/Secy./Amendment /EA-10/2013/11074. In exercise of powers conferred by Section 42 of Warehousing Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962) and all other powers enabling him in this behalf and with the previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 namely:

1. These regulations may be called the Haryana Warehousing Corporation (Officers & Staff) Amendment Regulations, 2013.
2. In the Haryana Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 (hereinafter called the said regulations), in regulation 8, sub-regulation (1) :
 - (a) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—
 - (g) In the case of Manager(Legal) :—
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by deputation of an officer already in the service of the Government of India, State Government, Central or State Public Undertaking;

NOTE: The post of Manager (Legal) was upgraded to that of Legal Adviser in the pay structure PB-3 ₹15600 39100+ Grade Pay ₹ 7600 as a measure personal to the present incumbent Smt. Swati Kumar. As and when the present

incumbent retires or otherwise vacates the post of Legal Adviser, it will revert to that of Manager(Legal) in the pay structure PB-3 ₹15600-39100+ Grade Pay ₹ 6000.

(b) for clause (D), the following clause shall be substituted, namely:—

(I) In case of District Manager—

(i) 75% by promotion from amongst Manager Grade-I and Assistant Manager (Quality Control) in the ratio of 6:1; and

(ii) 25% by direct recruitment;

3. In the said regulations, in Appendix-A of regulation-3(1)

(a) existing entries against Sr. No. 7, 23 and 24 under column No. 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B & 6C respectively shall be substituted with the following entry:

Sr. No.	Designation of posts	Classi- fication	No. of of post	Pay scale of the post (₹)	Revised scale w.e.f. 1.1.2006		
					Pay band	scale	Grade pay (₹)
1	2	3	4	5	6A	6B	6C
7 ✓	Manager (Legal)	1	1	10000-13900	3	₹15600-39100	6000 (*)
						(*) The post of Manager (Legal) was upgraded to that of Legal Adviser in the pay structure PB-3 ₹15600-39100+ Grade Pay ₹7600 as a measure personal to the present incumbent Smt. Swati Kumar. As and when the present incumbent retires or otherwise vacates the post of Legal Adviser, it will revert to that of Manager (Legal) in the pay structure PB-3 ₹15600-39100+Grade Pay ₹ 6000.	
23 ✓	Junior Engineer (Civil)	III	16	5500-9000 6500-9900	2	₹9300-34800	3600 4000 5200
						(On completion of 15 years service)	
						J.Es. after completion of 18 years of regular and satisfactory service will be designated as Additional Sub-Divisional Engineer.	
24 ✓	Junior Engineer (Electrical)	III	3	5500-9000 6500-9900	2	₹9300-34800	3600 4000 5200
						(On completion of 15 years service)	
						J.Es. after completion of 18 years of regular and satisfactory service will be designated as Additional Sub-Divisional Engineer.	

4. In the said regulations, in Appendix-B of regulation 6—

(a) existing entries against Sr. No. 6A & 11 under column No. 1, 2, and 5 respectively shall be substituted with the following entry:

Sr. No.	Designation of post	Academic qualification and experience, if any, for promotion
1	2	5
6A	Manager (Legal)(*)	—
11	District Manager	5 years experience as Manager Grade I or Assistant Manager (Quality Control)

(*) The post of Manager (Legal) was upgraded to that of Legal Adviser. The upgradation is co-terminus with the present incumbent Smt. Swati Kumar.

5. In the said regulations, for Appendix - C of regulation 15:—

(a) existing entries against Sr.No. 6A, 32 and 33 under column No.2 shall be substituted with the following entry :

Sr. No.	Designation of post
6A	Manager (Legal)(*)
32	Junior Engineer (Civil)/Additional Sub-Divisional Engineer (Civil)
33	Junior Engineer (Electrical)/ Additional Sub-Divisional Engineer (Electrical)

(*) The post of Manager (Legal) was upgraded to that of Legal Adviser. The upgradation is co-terminus with the present incumbent Smt. Swati Kumar.

BRIJENDRA SINGH,

Managing Director,
Haryana State Warehousing Corporation,
Panchkula.

ROSHAN LAL,

Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.

हरियाणा सरकार

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या ह०रा०भा०नि०स्था० 14/ई०ए० 10/2013.—भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये विनियम हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) संशोधन विनियम, 2013, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त विनियम कहा गया है) में, "लिपिक एवं टंकक" शब्द जहाँ कहीं भी आये के स्थान पर, "लिपिक" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त विनियमों में विनियम 8 के बाद, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8क.—(1) टंकण परीक्षा, लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में समी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रैस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तारयोग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गए हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्ड प्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउज़िंग तथा ई-मेल मनेजमेंट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) देने से छूट दी जाती है :—

- (i) एम०टैक०/बी०टैक० (कम्प्यूटर), एम०सी०ए०, बी०सी०ए० या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
- (ii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०ई०एल०आई०टी०) (पूर्वी डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;
- (iii) एच०के०सी०एल० के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए०एल०सी०जे०) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच०एस०सी०आई०टी०);
- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस०ई०टी०सी० पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पॅरेल्डिसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नैःव पॉःलजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नैःवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनरेशन डिजेनरैटिव डिस्ऑःर्ड्स जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस०ई०टी०सी०) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।”।

4. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट “ख” में,—

क्रम संख्या 40 के सामने, खाना 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

“स्नातक, अन्य विभाग नियम 8क के दृष्टिगत लोप कर दिया गया है।”

रमेश कृष्ण,

प्रबन्ध निदेशक,

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, पंचकुला।

HARYANA GOVERNMENT

HARYANA STATE WAREHOUSING CORPORATION

Notification

The 8th November, 2013

No. HWC/E-14/EA-10/2013.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962), and with the previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following regulations further to amend the Haryana State Warehousing Corporation (officers and staff) Regulations, 1994, namely :—

1. These regulations may be called the Haryana State Warehousing Corporation (officers and staff) Amendment Regulations, 2013.

2. In the Haryana State Warehousing Corporation (officers and staff) Regulations, 1994 (hereinafter called the said regulations), for the words "Clerk-cum-typist" wherever occurring, the word "Clerk" shall be substituted.

3. In the said regulations, after regulation 8, the following regulations shall be inserted, namely :—

"8A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typist shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—

- (i) M. Tech./B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g., Polytechnics;
- (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
- (iii) Haryana State - Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
- (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
- (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (Left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder affecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)."

4. In the said regulations, in Appendix B, against serial number 40, under column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Graduate, other part omitted in view of rule 8A."

RAMESH KRISHAN,
Managing Director,

Haryana State Warehousing Corporation, Panchkula.

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम

दिनांक 2 दिसम्बर, 2013

संख्या ह०मा०नि०/स्था० 14/ई०ए० 10/2013/46116.—भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से हरियाणा भाण्डागार निगम, इसके द्वारा, हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- ये विनियम हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) संशोधन विनियम, 2013 कहे जा सकते हैं ।
- हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 (जिन्हें, इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 8 में, उप विनियम (1) में :-

(क) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(क-क) वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक/मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी की दशा में-

(i) प्रणाली विश्लेषक से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) भारत सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य के लोक उपक्रम की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा; या

(iii) दोनों प्रक्रियाओं द्वारा उम्मीदवार के न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) खण्ड (यद) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :-

(यदद) नेटवर्क सहायक की दशा में-

(i) सीधी भर्ती द्वारा

- उक्त विनियमों में, परिशिष्टि "क" में :-

(क) खाना 1,2,3,4,5,6 (क), 6(ख) तथा 6(ग) के नीचे, क्रम संख्या 1, तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	पद का वेतनमान			
				वेतनमान(₹)	(01.01.2006 से लागू) वेतन बैंड	वेतनमान(₹) ग्रेड वेतन(₹)	
1	2	3	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
1-क	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक/ मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	1	1	10,000-15,200	3	15,600-39,100	6400

(ख) खाना 1,2,3,4,5,6क, 6ख और 6ग के नीचे, क्रम संख्या 39 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	पद का वेतनमान			
				वेतनमान(₹)	(01.01.2006 से लागू) वेतन बैंड	वेतनमान(₹) ग्रेड वेतन(₹)	
1	2	3	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
39-क	नेटवर्क सहायक	III	1	4000-6000	1	5200-20200	2400

(ग) खाना 1,2,3,4,5,6(क), 6(ख) तथा 6(ग) के नीचे, क्रम संख्या 50 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर,

निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	पद का वेतनमान			
				वेतनमान(₹)	वेतन बैंड (01.01.2006 से लागू)	ग्रेड वेतन(₹)	
1	2	3	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
50	कार्य मिस्त्री	III	...	3050-4350	1	5200-20200	1800

4. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट "ख" में :-

(क) खाना 1,2,3,4 तथा 5 के नीचे, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके

सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो	पदोन्नति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1-क	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक/मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	25-45	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रॉनिक में स्नातक इंजीनियर या एम.सी.ए. अथवा उसके समकक्ष। कम से कम चार वर्ष का व्यवहारिक अनुभव एवं प्रणाली विश्लेषक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	प्रणाली विश्लेषक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव
41ख	नेटवर्क सहायक	18-40	इलैक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूनिकेशन में स्नातक/इलैक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूनिकेशन में डिप्लोमा या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में समकक्ष सर्टिफिकेट कोर्स एक वर्ष के व्यवहारिक अनुभव के साथ।	

5. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट "ग" में :-

(क) खाना 1,2,3,4,5,6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्त्रियों का स्वरूप	शास्त्रियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1-क	वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक/मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी					

(ख) खाना 1,2,3 के नीचे, क्रम संख्या 41 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
41-ख	नेटवर्क सहायक	प्रबन्ध निदेशक				

रमेश कृष्ण,
प्रबन्ध निदेशक,
हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, पंचकूला।
रोशन लाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग, चण्डीगढ़।

142-11

HARYANA STATE WAREHOUSING CORPORATION

The 2nd December, 2013

No. HWC/E-14/EA-10/2013/46116.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962), and all other powers enabling him in this behalf and with the previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994, namely :—

1. These regulations may be called the Haryana Warehousing Corporation (Officers & Staff) Amendment Regulations, 2013.

2. In the Haryana Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 (hereinafter called the said regulations), in regulation 8, sub-regulation (1) :—

(a) after clause (a), the following clause (a-a) shall be inserted, namely :—

(a-a) in the case of Senior Systems Analyst / Chief Information Technology Officer—

(i) by promotion from Systems Analyst; or

(ii) by deputation of an officer already in the service of the Government of India, State Government, Central or State Public Undertaking; or

(iii) failing both by direct recruitment.

(b) after clause (zr), the following clause (zrr) shall be inserted, namely :—

In the case of Network Assistant

(1) By direct recruitment

3. In the said regulations, in Appendix-A of regulation-3(1) :—

(a) under column Nos. 1,2,3,4,5,6A,6B & 6C, after Sr. No. 1 the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely :—

Sr. No.	Designation of posts	Classification	No. of Post	Scale of pay of the post	Revised scale w.e.f. 1.1.2006		
					Pay Band	Scale	Grade Pay (₹)
1	2	3	4	5	6A	6B	6C
1-A	Senior Systems Analyst/Chief Information Technology Officer	1	1	₹10,000-15,200	3	₹15,600-39,100	6400

(b) under column Nos. 1,2,3,4,5,6A,6B & 6C, after Sr. No. 39 the following entries shall be inserted, namely :—

Sr. No.	Designation of posts	Classification	No. of Post	Scale of pay in the post	Revised scale w.e.f. 1.1.2006		
					Pay Band	Scale	Grade Pay (₹)
1	2	3	4	5	6A	6B	6C
39A	Network Assistant	III	1	₹4,000-6,000	1	₹5,200-20,200	2,400

(c) existing entries against Sr. No. 50 under column No. 1,2,3,4,5,6A,6B & 6C shall be substituted with the following entry :—

Sr. No.	Designation of posts	Classification	No. of Post	Scale of pay of	Revised scale w.e.f. 1.1.2006		
					Pay Band	Scale	Grade Pay (₹)
1	2	3	4	5	6A	6B	6C
50.	Work Mistry	III	—	₹3,050-4,350	1	₹5,200-20,200	1,800

4. In the said regulations, in Appendix-B of regulation 6—

(a) under columns No. 1,2,3,4 and 5 after serial number 1 and 41A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted respectively, namely :—

Sr. No.	Designation of post	Age limit for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment or deputation	Academic qualification and experience, if any, for promotion
1	2	3	4	5
1-A	Senior Systems Analyst/Chief Information Technology Officer	25-45	Candidate should be 1st Class Bachelor in Engineering in Computer Science or Electronics or Master of Computer Applications from recognized university or equivalent having minimum four years of practical experience and minimum five years working experience as Systems Analyst.	Minimum five years experience as Systems Analyst
41B	Network Assistant	18-40	Graduate in Electronics & Communications/ Diploma in Electronics & Communications or equivalent. Certificate course in Network Administration with one year relevant experience.	—

5. In the said regulations, for Appendix - C of regulation 15—

(a) under column Nos. 1,2,3,4,5,6 and 7 after serial number 1 and 41A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely—

Sr. No.	Designation of the post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority Empowered to impose penalty	First appellate authority	Second appellate authority
1	2	3	4	5	6	7
1A	Senior Systems Analyst/CITO					
41B	Network Assistant	Managing Director				

RAMESH KRISHAN,
Managing Director,
Haryana State Warehousing Corporation, Panchkula.

ROSHAN LAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम

दिनांक 2 दिसम्बर, 2013

संख्या ह०रा०म०नि०/ई ए 10/2013/46118. —भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, इसके द्वारा, हरियाणा भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं. अर्थात् :—

1. यह विनियम हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) संशोधित विनियम, 2013 कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम (अधिकारी और अमला) विनियम, 1994 (जिन्हे, इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है) उक्त विनियमों में, परिशिष्ट "ख", विनियम 6 में :—

(क) कम संख्या 14,15,16,17,18,20,21,22,24— क, 25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49 के

सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर खाना 3 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
	3
14	21-40
15	21-40
16	21-40
17	25-40
18	25-40
20	25-40
21	21-40
22	18-40
24क	22-40
25	21-40
26	18-40
27	18-40
28	18-40
29	18-40
31	18-40
32	18-40
33	18-40
34	18-40
36	18-40
37	18-40
38	18-40
39	18-40
40	18-40
41	18-40
42	18-40
43	18-40
47	18-40
48	18-40
49	18-40

रमेश कृष्ण,

प्रबन्ध निदेशक,

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, पंचकूला।

रोशन लाल,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

कृषि विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA STATE WAREHOUSING CORPORATION

The 2nd December, 2013

No. HSWC/EA-14/EA-10/2013/46118.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962), and all other powers enabling him in this behalf and with the previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following regulations further to amend the Haryana State Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994, namely :—

1. These regulations may be called the Haryana State Warehousing Corporation (Officers & Staff) Amendment Regulations, 2013.

2. In the Haryana State Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 (hereinafter called the said regulations), in Appendix-B of Regulation 6—

(a) existing entries against Sr. No. 14,15,16,17,18,20,21,22,24-A,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,37, 38,39,40,41,42,43,47,48,49, under column No. 3 shall be substituted with the following entries :—

Sr.No.	Age limit for direct recruitment
	3
14	21-40
15	21-40
16	21-40
17	25-40
18	25-40
20	25-40
21	21-40
22	18-40
24A	22-40
25	21-40
26	18-40
27	18-40
28	18-40
29	18-40
31	18-40
32	18-40
33	18-40
34	18-40
36	18-40
37	18-40
38	18-40
39	18-40
40	18-40
41	18-40
42	18-40
43	18-40
47	18-40
48	18-40
49	18-40

RAMESH KRISHAN,
Managing Director,
Haryana State Warehousing Corporation, Panchkula.

ROSHAN LAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Agriculture Department.